:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवनएवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारो के हितार्थ **''सौर ऊर्जा सहायता योजना''** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या–1781/36–2–2011, दिनांक 22 दिसंबर, 2011 के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण कर्मकारो के हितार्थ **''सौर ऊर्जा सहायता योजना''** निम्न प्रतिबन्धों के साथ अधिसूचित की जाती हैः–

1. सौर ऊर्जा सहायता योजना के अंतर्गत एक श्रमिक को एक ही बार हितलाभ स्वीकृत किये जाने विशयक प्रावधान कर लिया जाये तथा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत सृजित होने वाली देयताओं का वित्त पोषण बोर्ड द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर लगने वाले सेंस व अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय से नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश का कोई दायित्व नही होगा और न ही शासन द्वारा इस हेतु कोई वित्तीय सहायता वर्तमान अथवा भविष्य में दी जायेगी।
2. प्रश्नगत योजना में श्रमिकों की शिकायतों को हल करने हेतु ठोस प्रक्रिया निर्धारित की जाये, जिसके अंतर्गत जिला पर कार्यरत अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बाध्य हों, तथा दोषी अधिकारियों पर उचित कार्यवाही हो सके।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(आई0पी0 पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त /अपर सचिव, बोर्ड
कृते सचिव, बोर्ड।

<u>**कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, जी0टी0रोड, कानपुर।**</u>

पंत्राक–396–402 /भ0नि0बो(250)–2013 दिनांक–22.12.2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1781/36–2–2011, दिनांक 22.12.2011 क्रम में सूचनार्थं।

(आई0पी0 पाण्डेय)
अपर श्रमायुक्त/अपर सचिव, बोर्ड
कृते सचिव, बोर्ड।